



**THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY**



12 AASHAADH 1946 (S)

No. 432

RANCHI, WEDNESDAY 3rd JULY, 2024

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION
3rd July, 2024

Notification No.- 4/2023 – State Tax

S.O. No. 8, Dated 3rd July, 2024--In exercise of the powers conferred by section 164 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on such date as the Government of Jharkhand may, by notification in the Official Gazette, appoint:

2. In the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017 in rule 8,-

(i) for sub-rule (4A), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(4A) Where an applicant, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, opts for authentication of Aadhaar number, he shall, while submitting the application under sub-rule (4), undergo authentication of Aadhaar number and the date of submission of the

application in such cases shall be the date of authentication of the Aadhaar number, or fifteen days from the submission of the application in Part B of FORM GST REG-01 under sub-rule (4), whichever is earlier.

Provided that every application made under sub-rule (4) by a person, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, who has opted for authentication of Aadhaar number and is identified on the common portal, based on data analysis and risk parameters, shall be followed by biometric-based Aadhaar authentication and taking photograph of the applicant where the applicant is an individual or of such individuals in relation to the applicant as notified under sub-section (6C) of section 25 where the applicant is not an individual, along with the verification of the original copy of the documents uploaded with the application in FORM GST REG-01 at one of the Facilitation Centres notified by the Commissioner for the purpose of this sub-rule and the application shall be deemed to be complete only after completion of the process laid down under this proviso.”;

(ii) in sub-rule (4B), for and words, “provisions of”, the words “proviso to”, shall be substituted.

[File. No. VaKar/GST/01/2020]

By the order of the Governor of Jharkhand,

Vipra Bhal,

Secretary,

Commercial taxes Department.

Note: The principal rules were published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* notification No. 3/2017-State Tax, dated the 20th June, 2017, published, *vide* S.O. No. 28, dated the 20th June, 2017 and were last amended, *vide* notification No. 26/2022 -State Tax, dated the 1st June, 2023, *vide* S.O. No. 17, dated the 1st June, 2023.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं०.4/2023- राज्य कर

एस. ओ. सं. 8, दिनांक 3 जुलाई, 2024--झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए परिषद् की सिफारिशों पर, झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) नियमावली, 2023 है ।

(2) इस नियम उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो झारखण्ड सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे:

2. झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 8 में,--

(i) उपनियम (4क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(4क) जहां कोई आवेदक, धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न, उपनियम (4) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करते समय आधार संख्यांक के अधिप्रमाणन के लिए विकल्प का चयन करता है, वहां वह आधार संख्यांक अधिप्रमाणन करेगा और आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख, आधार संख्यांक के अधिप्रमाणन करने की तारीख या उपनियम (4) के अधीन प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 के भाग ख में आवेदन प्रस्तुत करने से पन्द्रह दिन, जो भी पहले हो, होगी।

परंतु यह कि धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा उपनियम (4) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन में, जिसने आधार संख्यांक के अधिप्रमाणन के लिए विकल्प का चयन किया है और जिसकी पहचान डाटा विश्लेषण तथा जोखिम मानदंडों के आधार पर सामान्य पोर्टल पर की गई है, बायोमैट्रिक आधारित आधार अधिप्रमाणन किया जाएगा और जहां आवेदक कोई व्यक्ति है, वहां आवेदक का फोटो लेकर अनुपालन किया जाएगा या धारा 25 की उपधारा (6ग) के अधीन यथा अधिसूचित आवेदक के संबंध में ऐसे व्यक्तियों का जहां आवेदक व्यक्ति नहीं है, वहां इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्रों में से किसी एक पर प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 में आवेदन के साथ दस्तावेजों की मूल प्रति के सत्यापन सहित अपलोड की जाएगी और इस परंतुक के अधीन अधिकथित प्रक्रिया के पूरा होने के पश्चात् ही आवेदन पूरा हुआ समझा जाएगा ।;

(ii) उपनियम (4ख) में, “के उपबंधों” शब्दों के स्थान पर, “का परंतुक” शब्द रखे जाएंगे ।

[सं.सं.वांकर/जी०एस०टी०/01/2020]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

विप्रा भाल,

सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग ।

टिप्पण : मूल नियम, झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना सं. 3/2017- राज्य कर, तारीख 20 जून, 2017 द्वारा एस. ओ. सं. 28, तारीख 20 जून, 2017 में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. 26/2022- राज्य कर, तारीख 1 जून, 2023 द्वारा एस. ओ. सं. 17, तारीख 1 जून, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।
